कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान

पत्रांक /प्र0ख0/

दिनांकः– 06/10/2023

## नीलामी की सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की में प्रतिस्थापित सौर ऊर्जासंयत्र कुल क्षमता 83 किलोवाटॅ के अन्तर्गत सोलर निष्प्रोज्य बैटरियों (360 नग 2 V Low M/N Head, Lead Batteries 360 volt 1700AH) की जस तस स्थिति में नीलामी हेतु खुली अधिकतम दरें/बोली (प्रति किलोग्राम की दर से ) अधिशासी अभियन्ता, प्रशासन खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की के नाम उक्त पते पर दिनांक 25.10.2023 को अपरान्ह 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जोकि उस ही तिथि को अपराह्न 4:00 बजे खोली जयेगी। बोली/दरों के साथ रू0 25,000/– मात्र (पच्चीस हजार मात्र) का धरोहर के रूप में FDR/NSC अधिशासी अभियन्ता, प्रशासन खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की के नाम बंधक रख मूल रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दरे मान्य नही होगी। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस/समय में कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नियम एंव शर्तेः–

1. नीलाम किये जाने वाले सोलर बैटरियों का निरीक्षण नीलामी की तिथि से पूर्व 02 दिन तक प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे तक किया जा सकता है।
2. अधिकतम बोलीदाता को बैट्रियों के वजन मानक हेतु तुला संयत्र का प्रबन्ध स्वंय किया जायेगा।
3. सोलर बैटरियों जैसा है, जहॉं है, के आधार पर नीलाम किया जायेगा।
4. दर/बोलीदाता को राजकीय सामान की नीलामी शर्ते जो भी विभाग द्वारा निधार्रित की जायेगी का पालन करना होगा।
5. अधिकतम बोली की राशि पर ळैज वर्तमान लागू दर से बोलीदाता को अलग से देना होगा।
6. इच्छुक बोलीदाता को नीलामी की दिनांक को धरोहर धनराशि प्रातः 10.00 बजे से 10.30 बजे तक नकद FDR/NSC के रूप में जमा करनी होगी। उसके उपरान्त किसी भी बोलीदाता की धरोहर धनराशि जमा नही की जायेगी। साथ ही पहचान के लिए आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति देनी होगी।
7. अधिकतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए बोली की राशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली छूटने के बाद तुरन्त जमा करनी होगी। बोलीदाता द्वारा यदि 25 प्रतिशत राशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो द्वितीय बोलीदाता से धनराशि जमा करायी जायेगी तथा पूर्व अधिकतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी की शेष राशि नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त 7 दिवस के अंतर्गत जमा करनी होगी।
8. नीलामी की स्वीकृति का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा यदि कतिपय कारणों से प्रदान नही किया जाता है अथवा बिलम्ब से प्रदान करने पर बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि पर कोई ब्याज का क्लेम मान्य नही होगा।
9. बिना कारण बताये नीलामी अथवा किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
10. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी विवाद का दावा माननीय न्यायालय जनपद हरिद्वार के क्षेत्र मे ही मान्य होगा।
11. अधिकतम बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि निष्प्रोज्य बैटरीयों कों उठाने से पहले प्रदूषण एवं पर्यावरण बोर्ड से नियत मानकों के अनुरूप ही इन बैटरीयों को नष्ट करेगा एवं नष्ट किये जाने के उपरांत संबधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तदोपरांत ही बंधक धरोहर धनराशि को अवमुक्त किया जाना संभव होगा।
12. .बोलीदाता द्वारा अपनी फर्म का प्रदूषण एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड में अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र अपनी बोली के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड

पत्रांक–1754/प्र0ख0/तदिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 परिकल्प एंव निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
2– अधीक्षण अभियन्ता, शोध मण्डल, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
3– शोध अधिकारी, आधारान्वेषण इकाई, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
4– सहायक अभियन्ता उपखण्ड–प्रथम, प्रशासन खण्ड, रूड़की।

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड

AB I (C)